न्यायालयः:–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भटगांव, सत्र खण्ड रायगढ़, राजस्व जिला– सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ०ग०) समक्ष-सविता सिंह ठाकुर	
	निर्णय दिनांक-03/12/2024 **दांडिक प्रकरण क्रमांक-जे-482/2022** आरक्षी केन्द्र सरसींवा, जिला बलौदाबाजार **(छ.ग.)** **अपराध क्रमांक 62/2022** **संस्थित दिनांक-28/09/2022**
अभियोजन/अभियोगी	**छ.ग. राज्य द्वारा** थाना सरसींवा
अभियोजन द्वारा अधिवक्ता	श्री रजनीश कुमार टीकम ए.डी.पी.ओ.।
अभियुक्त	**दुष्यंत साहू पिता स्व. गणेशराम साहू उम्र–52 वर्ष, साकिन सरसींवा थाना सरसींवा जिला बलौदाबाजार छ.ग., वर्तमान जिला सारंगढ–बिलाईगढ (छ.ग.)**
अभियुक्त के द्वारा अधिवक्ता	**श्री** हिमकर दुबे

अपराध का दिनांक	27/02/2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	27/02/2022
चार्ज शीट प्रस्तुत करने का दिनांक	28/09/2022
अपराध विवरण का दिनांक	19/12/2022
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने का दिनांक	15/03/2023
निर्णय सुरक्षित रखे जाने का दिनांक	निरंक
निर्णय का दिनांक	03/12/2024
दण्डादेश का दिनांक, यदि कोई हो तो	निरंक

अभियुक्त का विवरण

क्र.	अभियुक्ता का नाम	गिरफतारी का दिनांक	जमानत पर छोडने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्धी या दोषमुक्ति	दंडादेश में दी गयी सजा	द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रयोजन से विचारण के दौरान भुगतायी गयी निरोध अवधि।
01	दुष्यंत साहू पिता स्व. गणेशराम साहू उम्र-52 वर्ष, साकिन सरसींवा थाना सरसींवा जिला बलौदाबाजार छ.ग., वर्तमान जिला सारंगढ-बिलाईगढ (छ.ग.)	23/08/2022	23/08/2022	धारा 294, 506(B), 326 भा.दं.सं.	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक

क्रमांक	विवरण	पृष्ट क्रमांक
1	निर्णय का शीर्षक	4 व 5
2	पैरवी कर रहे अधिवक्ता का विवरण	5
3	आरोप/अपराध विवरण	5 व 6
4	स्वीकृत तथ्य	6
5	अभियोजन की कहानी	6 व 7
6	विचारणीय बिन्दु	7 व 8
7	कारण एवं विनिश्चय	9 से 14
8	दण्डादेश	-
9	निरोध की अवधि तथा मुजरा।	-
10	सम्पत्ति का निराकरण	14 व 15
11	प्रतिकर का आदेश	-
12	धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र	-
13	सुपुर्दगी का वारंट , यदि कारावास या जुर्माने का दण्डादेश न्यायालय द्वारा दिया गया हैं।	-
14	निर्णय की प्रति	-

<u>न्यायालयः:–सविता सिंह ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी</u>

<u>भटगांव, सत्र खंड रायगढ, राजस्व जिला सारंगढ–बिलाईगढ</u>

<u>(छ०ग०)</u>

आपराधिक प्रकरण क्रं०–जे–482/2022
संस्थित दिनांक–28/09/2022
आरक्षी केन्द्र सरसींवा,
अपराध क्रमांक–62/2022

छत्तीसगढ राज्य

द्वाराः–आरक्षी केन्द्र सरसींवा,

जिला–बलौदाबाजार (छ०ग०)

वर्तमान जिला–सारंगढ–बिलाईगढ (छ.ग.)..........................**अभियोजन**

//विरूद्ध//

1. **दुष्यंत साहू**

पिता–स्व. गणेशराम साहू उम्र–52 वर्ष,

जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

वर्तमान जिला सारंगढ–बिलाईगढ (छ.ग.).............**अभियुक्त**

राज्य द्वारा रजनीश कुमार टिकम ए०डी०पी०ओ०।

अभियुक्त द्वारा श्री हिमकर दुबे अधिवक्ता।

//निर्णय//

(आज दिनांक 03/12/2024 को उदघोषित)

01/– उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506(भाग–दो), 326 के अपराध का आरोप हैं कि उसने दिनांक 27/02/2022 को समय 21:30 बजे या उसके लगभग स्थान–वार्ड नं. 04 साहू पारा ग्राम सरसींवा, अंतर्गत थाना सरसींवा, जिला बलौदाबाजार छ.चग. में लोकस्थान आहत नीम्बुज साहू के घर के सामने या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किये जिससे प्रार्थी और अन्य को क्षोभ कारित हुआ तथा आहत नीलाम्बुज साहू को संतान कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं

आहत नीलाम्बुज साहू को आम काटने की चाकू, जैसे कत्ता जो कि काटने के रूप में उपयोग किया जा सकता हैं , से स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

02/– प्रकरण में कोई निर्विवादित तथ्य नहीं हैं।

03/– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी उदित नारायण साहू ने पुलिस थाना सरसींवा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 27/02/2022 को रात्रि करीबन 09.30 बजे जमीन विवाद को लेकर उसके पापा को उसके बडे पापा दुष्यंत साहू ने जान से मारने की धमकी देकर आम काटने वाला चाकू जैसे कत्ता से मारपीट किया जिससे उसके पिता के अण्डकोष से खून निकल रहा हैं। प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सरसींवा में अपराध क्रमांक 62/2022 अंतर्गत धारा 294, 506(B), 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। अन्वेषण के दौरान घटनास्थल का नजरी नक्शा बनाया गया तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। जप्ती की

कार्यवाही की गई तथा अभियुक्त को गिरफतार किया गया एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना की अन्य सम्पूर्ण कार्यवाही उपरांत अनुसंधान पूर्ण कर धारा 294, 506B, 323, 326 भारतीय दण्ड संहिता के तहत् यह अभियोग पत्र पेश किया गया।

04/– उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 01 में उल्लेखित अपराध का आरोप विरचित कर, पढकर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसने उपरोक्त अपराध से इंकार करते हुए विचारण की मांग की। अभियोजन साक्ष्य लेखबद्ध की गई तथा अभियुक्त का धारा313 द०प्र०सं० के तहत् परीक्षण किया गया। उसने अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं करना व्यक्त करते हुए केवल कथन किया कि उसको प्रकरण में झूठा फंसाया गया हैं।

05/– उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उदभूत होते हैं–

1. ''क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 27/02/2022 को समय 21:30 बजे या उसके लगभग स्थान –वार्ड नं. 04 साहू पारा ग्राम सरसींवा, अंतर्गत थाना सरसींवा , जिला बलौदाबाजार छ.चग. में लोकस्थान आहत नीम्बुज साहू के घर के सामने या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किये जिससे प्रार्थी और अन्य को क्षोभ कारित हुआ ?''

2. ''क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक , समय व स्थान पर आहत नीलाम्बुज साहू को संतान कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?''

3. ''क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक , समय व स्थान पर आहत नीलाम्बुज साहू को आम काटने की चाकू , जैसे कत्ता जो कि काटने के रूप में उपयोग किया जा सकता हैं , से स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?''

06/– अभियोजन ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रमाणित करने के लिए प्रार्थी उदित नारायण साहू अ.सा. 01, आहत नीलाम्बुज साहू अ.सा.

02, साक्षी संजुधर दीवान अ.सा. 03, साक्षी ईश्वरधर दीवान अ.सा. 04 एवं साक्षी विवेचना अधिकारी शोभाराम जाटवर अ .सा. 05 का परीक्षण अपने समर्थन में कराया हैं तथा उन पर अपनी आस्था व्यक्त की हैं जबकि अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं करना व्यक्त करते हुए स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाये जाने का कथन किया गया हैं।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 03 की विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष–

07/– अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोपों को सिद्ध करने का पूर्ण भार अभियोजन पक्ष पर हैं। इस संबंध में अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 उदित नारायण साहू के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में आरोपी को जानना पहचानना बताया गया हैं। इस साक्षी के द्वारा घटना के संबंध में यह कथन किया गया हैं कि घटना दिनांक को जमीन बंटवारा की बात को लेकर उसके पिता और आरोपी जो कि उसके चाचा हैं , के मध्य लडाई–झगडा हो रहा था उसी दौरान दोनों के मध्य हाथापायी हुई थी और उसके पिता की अण्डकोष में चोंट लग गई थी। इस साक्षी के द्वारा आगे यह कथन किया गया हैं कि उसे

यह लगा कि उसके पिता को उक्त चोंट आरोपी दुष्यंत साहू के द्वारा आम काटने वाले कत्ता से कारित की गई हैं किंतु बाद में उसके पिताजी ने बताया कि उन्हें उक्त चोंट सीढी से गिर जाने के कारण आई थी। साक्षी ने उक्त घटना के संबंध में की गई लिखित प्र०पी० 01 तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 02 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया हैं। इस साक्षी से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर पुलिस को दिये गये कथन तथा प्र०पी० 01 की लिखित शिकायत से इंकार किया।

08/– इसी प्रकार प्रकरण के साक्षी नीलाम्बुज साहू के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में आरोपी को पहचाना बताया हैं तथा घटना के समय आरोपी तथा उसके मध्य जमीन की बात को लेकर वाद –विवाद होने का कथन किया गया हैं। इस साक्षी के द्वारा कथन किया गया हैं कि उक्त के अतिरिक्त उसके साथ कोई घटना घटित नहीं हुई थी। साक्षी से न्यायालय द्वारा प्रश्न किये जाने पर कि आरोपी के द्वारा शराब के नशे में उसके साथ गाली गलौच की गई तथा जान से मारने की धमकी देते अपने घर से आम काटने

वाला लोहा के कत्ता को निकालकर हाथ –बांह को पकडकर उसके अण्डकोष को मारा जिससे उसका अण्डकोष फट गया तो साक्षी ने उपरोक्त घटना से इंकार किया गया तथा पुलिस को बयान दिये जाने से भी इस साक्षी ने इंकार किया हैं। इस प्रकार घटना के आहत तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी दोनों के द्वारा ही सम्पूर्ण घटना से इंकार कर दिया गया हैं तथा आरोपी के विरूद्ध कोई कथन नहीं किया गया हैं।

09/– अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 संजुधर दीवान तथा अभियोजन साक्षी क्रमांक 4 ईश्वरधर दीवान के द्वारा घटना के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं होना बताया गया हैं तथा पुलिसवालों के द्वारा उनसे घटना के संबंध में पूछताछ कर बयान लिये जाने से इंकार किया गया हैं। न्यायालय द्वारा प्रश्न किये जाने पर इन साक्षियों के द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया हैं। इस प्रकार उपरोक्त साक्षियों के कथनों से घटना की पुष्टि नहीं होती हैं।

10/– अभियोजन साक्षी क्रमांक 5 विवेचना अधिकारी शोभाराम

जाटवर ने अपने साक्ष्य कथन में बताया हैं कि प्रार्थी उदित नारायण साहू के द्वारा आरोपी दुष्यंत साहू के विरूद्ध गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर चोंट पहुंचाने के संबंध में लिखित आवेदन पेश किया था जिसके आधार पर उसके द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 02 लेखबद्ध किया गया था और विवेचना के दौरान घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र०पी० 04 एवं आरोपी से लोहे की कत्ता जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी० 09 तैयार किया था तथा साक्षियों का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। साक्षी के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया हैं कि विवेचना के दौरान उसे यह ज्ञात हो गया था कि आरोपी और आहत के मध्य जमीन संबंधी विवाद से मामला उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार इस साक्षी के उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर इस बात की पुष्टि होती हैं कि आरोपी तथा आहत के मध्य जमीन संबंधी वाद–विवाद हुआ था जिसके कारण यह मामला उत्पन्न हुआ था। इस साक्षी के द्वारा प्र०पी० 01 के आधार पर सम्पूर्ण विवेचना की कार्यवाही की गई हैं किंतु

स्वयं प्रार्थी के द्वारा प्र०पी० 01 के लिखित कथन से इंकार कर दिया गया हैं। इस प्रकार लिखित शिकायत प्र०पी० 01 प्रकरण में प्रमाणित नहीं होने से उसके संबंध में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही भी दूषित हो जाती हैं।

11/– जैसा कि प्रकरण में स्वयं आहत तथा प्रकरण के शेष स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा पूर्ण रूप से घटना से इंकार कर दिया गया हैं व आरोपी तथा आहत के मध्य केवल वाद–विवाद होने का कथन किया हैं व आहत को आई चोंट आरोपी के द्वारा कारित नहीं किये जाने का कथन किया गया हैं। इस प्रकार प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध साक्षियों के द्वारा की गई कथनों के आधार पर उस पर अभियोजित धाराओं का आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाता हैं। प्रकरण में साक्ष्य का अभाव हैं तथा संदेह का लाभ सदैव आरोपी को मिलता हैं।

12/– अतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचना के उपरांत यह पाया जाता हैं कि अभियोजन अपने मामले के अंतर्गत युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा हैं कि अभियुक्त ने दिनांक 27/02/2022

को समय 21:30 बजे या उसके लगभग स्थान–वार्ड नं. 04 साहू पारा ग्राम सरसींवा, अंतर्गत थाना सरसींवा , जिला बलौदाबाजार छ .चग. में लोकस्थान आहत नीम्बुज साहू के घर के सामने या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किये जिससे प्रार्थी और अन्य को क्षोभ कारित हुआ तथा आहत नीलाम्बुज साहू को संतान कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं आहत नीलाम्बुज साहू को आम काटने की चाकू, जैसे कत्ता जो कि काटने के रूप में उपयोग किया जा सकता हैं, से स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

13/– अतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचना के आलोक में अभियुक्त को धारा 294, 506(B), 326 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोग में दोषमुक्त किया जाता हैं।

14/– प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक नग लोहे की कत्ता जिसकी कुल लंबाई 12 इंच, फल की लंबाई 7.1/2 इंच, फल की चौडाई 3 इंच, मुठ की लंबाई 4.1/2 इंच, मुठ की चौडाई 1 इंच अपील न होने की दशा में

अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावें किंतु अपील होने की दशा में जप्तशुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावें।

15/– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(ए) के अनुपालन में अभियुक्त के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जमानत एवं मुचलका निर्णय दिनांक से 06 माह तक प्रवृत्त रहेगा।

16/– प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा हैं। अतः धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् निरोध प्रमाण पत्र पृथक से नहीं बनाया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

(श्रीमती सविता सिंह ठाकुर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भटगांव, सत्र खण्ड रायगढ़
राजस्व जिला– सारंगढ़–बिलाईगढ़
(छ.ग.)

मेरे उदबोधन पर टंकित।

(श्रीमती सविता सिंह ठाकुर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भटगांव, सत्र खण्ड रायगढ़
राजस्व जिला– सारंगढ़–बिलाईगढ़
(छ.ग.)

SAVITA SINGH THAKUR
Digitally signed by SAVITA SINGH THAKUR